

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो बाबूलाल वर्मा, 2. वर्तमान धारित पद सहायक वर्ग एक  
 3. वर्तमान वेतन 12720+2800 G.P. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.07.2015  
= 15520/-

जिला, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौर		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम बीड़ा त. उदयपुरा जिला- रायसन	-	12 एकड़	72 लाख रुपये	स्वयं के नाम पर	पैत्रिक सम्पत्ति (विरासत में)	1.50 लाख रुपये	-
2. शिवानी काम्पलेक्स शिवानी नगर मीपाल	प्लॉट 1200 फीट में	-	30 लाख रुपये	पत्नी श्रीमती केशर वर्मा	कृषि आय से (वर्ष 2005 में)	स्वयं निवासक है (कोई नहीं)	
3. पल्लवी बुद्ध निमणि सामिति पल्लवी नगर वावाडिया कला मीपाल	प्लॉट 30 X 40 फीट (1200 फीट)	-	10.00 लाख रुपये	स्वयं के नाम पर	स्वयं की वक्त एवं प्रतिष्ठा द्वारा (वर्ष 2003 में)	कोई नहीं	

जहां लागू न हो कार्ट दोजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 (नियम) : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परन्तु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौर दें।

हस्ताक्षर बाबूलाल वर्मा  
 नाम बाबूलाल वर्मा  
 पद सहायक वर्ग एक  
सेचालनालय मीपाल  
नगरीय प्रबन्धन एवं विकास